# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 944/25 श्रीराम बनाम भारमल<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>891/25 रामलाल बनाम जसकरण | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17/10/25 | पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस अपील संख्या 944/2025 एवं अपील संख्या 891/2025 पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/10/2025 को पेश हो। | |
| 27/10/25 | आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रामलाल, रामस्वरूप, श्रीराम एवं रामदयाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई कर निर्णय दिनांक 28/04/2025 पारित करते हुये प्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 87 की आराजी खसरा नम्बर 189, 190, 191, 281, 286, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95 किता 12 कुल रकबा 8.5733 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतारामपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 4 के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करने व बेदखल नही करने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश 944/2025 एवं अपील संख्या 891/2025 प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी। चूँकि दोनों अपीलों की प्रकृति व निस्तारण योग्य बिन्दु समान है, ऐसे में इस एक ही निर्णय के माध्यम से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो में सलग्न की जावे।<br>दोनों अपीलों के अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद पेश किया। लादू की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात विरासत में गंगाराम व जीवन पुत्रान लादू को 1/2-1/2 हिस्सेनुसार प्राप्त हुई। गंगाराम के दो पुत्र देवकरण व लिखमा थे, जिसमे से गंगाराम के जीवनकाल में ही देवकरण उसके ताऊ फेपला जो कि नाऔलाद था, के सन 1960 में ही गोद चला गया एवं उसने सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया। देवकरण ने गंगाराम का लड़का बन कर भूमि को अपने नाम करवा लिया। गंगाराम के जीवन में बड़ा लड़का गोद चले जाने के पश्चात एक मात्र वारिस लिछमा बचा था फिर भी सम्पूर्ण भूमि देवकरण के नाम गलत रूप से लगा दी गयी। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार गोद चला गया पुत्र अपने मूल पिता की भूमि में कोई हक़ व हिस्सा प्राप्त ही नही कर सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कथन किया कि लिछमा भी गोद चला गया, जबकि लिछमा के गोद चले जाने को स्पष्ट नही किया गया है। अपीलार्थी ने | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायालय के समक्ष वंशावली पेश की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क़ानूनी प्रावधानों के विपरित पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/04/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले प्रस्तुत की गयी है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज करते हुए अपीलार्थी को ही पाबन्द किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिये बगैर एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/04/2025 पारित किये जाने में तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी कारित की है | अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जानबूझकर तथ्यों के विपरित बहस की है | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. ने काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि जीवन अपने चाचा के गोद चला गया एवं लिछमा को जीवन की सम्पत्ति मिली | गंगाराम व जीवन दो भाई थे | जीवन की विरासत लिछमा एवं दो बहनों के नाम चली गयी एवं बहनों ने भाई के हक़ में रजिस्टर्ड हक़त्याग कर दिया, जो लिछमा के हक़ में किया गया | अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वंशावली के अनुसार भी भूमि 1/2-1/2 हिस्से में दोनों भाईयो के नाम दर्ज हुई, जिसमे आधी भूमि आज भी अपीलार्थी के नाम है | विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 196/2 के 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 07/06/2024 को हुआ, जिसे विवादग्रस्त नही माना परन्तु उसे भी गलत रूप से दावे में शामिल किया गया | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/04/2025 पारित किया गया है, जिसमे तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से दोनों अपीले ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद घोषणा का है एवं घोषणा के बिन्दु का निस्तारण वाद के अन्तिम निस्तारण के वक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूत का परिक्षण/विवेचन उपरान्त किया जाना है, ऐसी स्थिति में यदि घोषणा के बिन्दु के निस्तारण से पूर्व विवादगस्त आराजी का बैचान/हस्तान्तरण हो जाता है अथवा उसके कृषि स्वरूप को अकृषि में परिवर्तित कर दिया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीयां उत्पन्न होना तथा अपीलार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होना सम्भव है, जिसे न्यायहित में रोका

राजस्व अपील प्राधिकारी

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | श्रीराम बनाम भारमल<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**रामलाल बनाम जसकरण** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

जाना उचित समझा जाता है। इसके अतिरिक्त उद्धरित तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/04/2025 निरस्त किया जाता है एवं ता-फैसला मूल वाद ग्राम सीतारामपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर स्थित विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 189, 190, 191, 281, 286, 86, 87, 88, 91, 93, 94 व 15 कुल किता 12 कुल रकबा 8.5733 हैक्टेयर की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार दोनों अपीले क्रमश: 944/2025 व 891/2025 स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर